Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release 15-12-2025

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: राजस्थान में मंगलवार को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

दावे-आपत्तियों के लिए रहेगी एक माह की अवधि; राजनीतिक दलों से साझा की जाएगी ड्राफ्ट सूची- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर, 15 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2026 के पहले चरण(गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत कल दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जाएगी।

राजनैतिक सहभागिता सुनिश्चित हो

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी राजनैतिक दलों को इस संबंध में पूर्व में ही सूचित कर देवें। इन्हें प्रारूप मतदाता सूची एवं पुनर्गठन के उपरांत मतदान केन्द्रों के बारे अवगत कराएं। प्रारूप मतदाता सूची के साथ में एएसडी (Absentee/Shifted/Dead/Already Enrolled) लिस्ट भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में सीईओ राजस्थान एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पुनर्गठन के बाद नव सृजित मतदान केन्द्रों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर को तुरंत नियोजित करने हेतु निर्देशित किया।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करें

श्री महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए, यदि नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form)

भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दी जाए। युवा मतदाता जो 1 अप्रेल 2026, 1 जुलाई 2026 एवं 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एडवांस फ़ॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु आवेदन करावें।

श्री महाजन ने बताया कि SIR के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ERO/AERO को सुनवाई का मौक़ा देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे जिनके ऊपर DM तथा CEO अपील सुन सकेंगे।

श्री महाजन ने बताया कि हर गाँव, हर वार्ड, हर घर तक पहुँचने तथा प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयासों के अंतर्गत राजस्थान के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), सभी 41 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEOs), 199 निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी (EROs), 52,222 मतदाता केंद्रों पर तैनात BLOs, लाखों वॉलंटियर्स तथा सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) ने अपनी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन किया।